संख्या: 170/2026/662पू0वि0नि0/35-1-2026/35-1099/21/2025

प्रेषक,

अशोक कुमार राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 23 अक्टूबर, 2026

विषय:- पूर्वान्चल विकास निधि(राज्यांश) अनुदान संख्या-40/83 के अन्तर्गत जनपद वाराणसी की 16 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवशेष धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-157/पू0वि0नि0/राज्यांश/2024-25, दिनांक 05.05.2026 एवं पत्र संख्या-730/पू0वि0नि0/राज्यांश/2026-27, दिनांक 31.08.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-40/83 के अन्तर्गत स्वीकृत जनपद वाराणसी की 16 परियोजनाओं से संबंधित प्रपत्र यथा यूसी/फार्म-42 आई, बी0 एम0-15, एनेग्जर-2, फोटोग्राफ, निरीक्षण आख्या एवं बचत पत्र पर सूचना उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित परियोजनाओं हेतु स्तम्भ-4 में अंकित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति नियोजन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-42/2025/594पू0वि0नि0/35-1-2025/35-1099/21/2025, दिनांक 28.03.2025 द्वारा प्रदान की गई है। तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अगली किश्त के रूप में उनके सम्मुख स्तम्भ-11 में अंकित धनराशि, जिनका कुल योग रू0 **432.419 लाख** (रू0 चार करोड़ बत्तीस लाख इकतालीस हजार नौ सौ मात्र) है, को पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-40/83 से अवमुक्त करते हुये अधोलिखित प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

पूर्वान्चल विकास निधि(राज्यांश) अनुदान संख्या-40/83 **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र	परियोजना का नाम	लम्बाई मी. में	अनुमोदित लागत	अब तक अवमुक्त धनराशि	गठित अनुबन्ध की लागत धनराशि	गठित अनुबन्ध की लागत अनुमन्य मदों सहित	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत की धनराशि	गठित अनुबन्ध के आधार पर मांग की गयी धनराशि	GST एवं अन्य सूचना अनुसार आंकलित की गयी अवशेष धनराशि	वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ग्राम नकटी मलहथ मार्ग से नहर की पटरी से अनिल सिंह के घर तक पिच रोड निर्माण का कार्य।	750	32.58	16.29	27.61	32.57	0.01	16.259	16.28	16.259
2	ग्राम सभा चंगवार में अनेई साईपुर मार्ग पर शीतला मिश्रा के घर से हुबलाल के	330	15.83	7.92	13.415	15.82	0.01	7.880	7.90	7.88

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	घर तक पिच रोड निर्माण का कार्य।									
3	फरीदपुर ग्राम सभा हाँसापुर में सत्यनारायन पटेल के घर से पंचायत भवन होते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक सड़क निर्माण कार्य।	1000	60.42	30.21	48.212	57.37	3.05	27.162	27.16	27.16
4	बहोरनपुर पिच रोड से अनिल पटेल के घर से वंसनारायण के घर तक सड़क निर्माण कार्य।	1000	61.73	30.87	49.703	58.64	3.09	27.350	27.77	27.35
5	वार्ड ककरमत्ता के पहाड़ी में बी०एल०डब्ल्यू० पानी टंकी संख्या 8 से आई०टी०आई० से भोले नगर कालोनी तक रोड निर्माण कार्य।	1250	73.16	36.58	61.452	73.12	0.04	36.548	36.54	36.54
6	जी0टी0 रोड बिहडा पावर हॉउस से मौर्या बस्ती के पास मौलीवीर लेपित सतह से बॉध बस्ती के पास धोरही आशीष विश्वकर्मा के फार्म हॉउस से सोनकर बस्ती, ब्राम्हण बस्ती, विश्वकर्मा बस्ती तथा हरिजन बस्ती होते हुए ग्राम ठाठरा के पिच रोड से गुड्डू पाल के घर तक नवनिर्माण कार्य। (अनुदान संख्या-83)	1400	49.01	24.50	40.776	48.52	0.49	24.023	24.02	24.02
7	कपसेठी बाबतपुर के लेपित मार्ग से ग्राम बाराडीह से ठाकुर बस्ती, ब्राम्हण बस्ती, पाल बस्ती तथा हरिजन बस्ती होते हुए सेवाभारती इंटर कालेज तक कलिका धाम इंटर कालेज तक का नव निर्माण कार्य।	2150	78.03	39.01	65.499	77.94	0.09	38.934	38.93	38.93
8	ग्राम मुनारी में ग्रामसभा मुनारी में त्रिलोकी नाथ दुबे के घर से प्रारम्भ होकर ग्राम बैकेबी में अनु० जाति आबादी तक सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य। (अनुदान संख्या-83)	530	31.46	15.73	25.326	29.88	1.58	14.130	14.15	14.13
9	ग्राम सभा चुप्पेपुर में जे०डी० पब्लिक स्कूल से पोखरी तक	1200	53.14	26.57	44.17	52.56	0.58	26.07	25.99	25.99

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	नाला/सीवर का निर्माण कार्य।									
10	घमहापुर में सीवर व सड़क का निर्माण कार्य।	1200	102.88	51.44	86.24	102.62	0.26	51.22	51.18	51.18
11	ग्राम चक्का में हरहुआ-रामेश्वर मार्ग से राजभर तक तथा मौर्या बस्ती तक सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	700	52.36	26.18	43.95	52.30	0.06	26.13	26.12	26.12
12	ग्राम-प्रेमनगर में चौबेपुर-बाबतपुर मार्ग के पश्चिमी चौराहा से आबादी तक पूर्व निर्मित मार्ग पर सी०सी० मार्ग का निर्माण का कार्य।	900	66.83	33.41	56.10	66.75	0.08	33.35	33.34	33.34
13	ग्राम सभा अखिरी में बाई पास हाइवे सी० यम० पैलेस से लेकर निशान्त के मकान तक कालिन्दीपुरम कालोनी में रोड निर्माण का कार्य।	500	65.23	32.61	54.79	65.20	0.03	32.58	32.59	32.58
14	गंगापुर रोहनियां मार्ग डब्लू के घर के पास से एम०आर० पब्लिक जूनियर हाईस्कूल मीरा बर्न लक्ष्मनपुर मार्ग तक रोड निर्माण का कार्य।	1000	53.20	26.60	44.66	53.14	0.06	26.54	26.54	26.54
15	ग्राम सभा सकलपुर में दयाशंकर सिंह के घर से संजय सोनकर के घर तक रोड निर्माण कार्य।	800	19.67	9.84	15.32	18.23	1.44	8.39	8.39	8.39
16	ग्राम हाथी में मेन रोड से खरपत्तु हरिजन के घर मगंला प्रसाद सिंह के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	800	72.91	36.46	60.90	72.47	0.44	36.01	36.01	36.01
	योग	15510	888.44	444.22	738.123	877.13	11.31	432.576	432.91	432.419

(रू0 चार करोड़ बत्तीस लाख इकतालीस हजार नौ सौ मात्र)

3. शर्तें एवं प्रतिबन्ध:-

(1) यह धनराशि केवल उक्त परियोजना पर ही मानक विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। इससे इतर किसी अन्य परियोजना पर व्यय किये जाने पर वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

(2) सम्बन्धित जिलाधिकारी का दायित्व होगा कि स्वीकृत कार्य के अवशेष कार्य कड़ी निगरानी में समयबद्ध ढंग से पूर्ण गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप पूर्ण कराये जायें। यह सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि का किसी भी प्रकार से दुरूपयोग न हो। यदि धनराशि का दुरूपयोग होगा तो उसके लिये आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) उक्त परियोजना पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जाय, कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूर्ण करा लिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में आवंटित धनराशि का पूर्ण रूप में सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा तथा पूर्व में कराये गये कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक है।

(5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक में कदापि नही रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगे।

(8) निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये ही किया जाय।

(10) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रमुख सचिव, नियोजन अनुभाग-1 उ0प्र0शासन, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर भेजी जायेगी।

(11) सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0व उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जायेंगे।

(12) स्वीकृत परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2026-2027 के अंत तक अवश्य कर लिया जाय तथा परियोजनाओं में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(13) परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था-फार्म-42 आई पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित प्रमुख सचिव, नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0शासन, लखनऊ को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(14) मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगे, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

(15) परियोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्थान के सक्षम अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

(16) नियोजन विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का आनलाइन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड विषयक वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या–10/2022/बी-1-345/ दस-2022 दिनांक 04-05-2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण वितरण संबंधी कार्य आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं संबंधित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04-05-2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(17) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय/उपयोग हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0 पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(18) उपर्युक्त परियोजना के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे।

(19) विषयगत कार्यों के संबंध में पूर्व में निर्गत मूल शासनादेश के नियम एवं शर्ते यथावत रहेंगी।

4. इस संबंध में उक्त प्रस्तर-2 की तालिका के क्रमांक-6 व 8 पर अंकित परियोजनाओं पर होने वाला व्यय रू0 38.15 लाख (रू0 अड़तीस लाख पन्द्रह हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट से अनुदान संख्या-83 के लेखा शीर्षक "**4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-02-पिछड़े क्षेत्र-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-पूर्वान्चल की विशेष योजनायें-24-वृहद निर्माण कार्य**" एवं शेष कार्यों पर होने वाला व्यय रू0 394.269 लाख (रू0 तीन करोड़ चौरानबे लाख छब्बीस हजार नौ सौ मात्र) को अनुदान संख्या-40 के लेखा शीर्षक **"4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-60-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अन्य-800-अन्य व्यय-03-पूर्वान्चल की विशेष योजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-24-वृहद निर्माण कार्य'' के मद से वहन किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार राम)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार,लेखा परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/लोक निर्माण विभाग/ ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल।
8. मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, वाराणसी
10. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, वाराणसी।
12. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड वाराणसी।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।